झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म0म0स0– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1238/ आरखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 के नियम– 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–2 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य" के पश्चात् एवं "प्रति माह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक " 30,000/– (तीस हजार) रूपये" को "रू0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–3 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "प्रति माह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "1,000/– (एक हजार) रुपये मात्र" को "रु0 3,000/– (तीन हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम–4 में अंकित शब्द "प्रतिमाह" के पश्चात एवं शब्द समूल "क्षेत्रीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "20,000/– (बीस हजार) रुपये" को "रु0 65,000/– (पैंसठ हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–5 में अंकित शब्द समूह "सत्कार भत्ता के रूप में" के पश्चात् तथा शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह "20,000/– (बीस हजार) रुपये" को "रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

v) नियमावली के नियम–6 में अंकित शब्द "अधिकतम" के पश्चात् एवं शब्द समूह "जो भी कम हो" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "15,00,000/– (पंद्रह लाख) रुपये" को "रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियम–6 में नये उप नियम–6 (i) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है:–
"विधान सभा के सदस्यगण राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

vii) नियमावली के नियम–8 में अंकित शब्द समूह "तिथि से" के पश्चात् एवं "प्रतिदिन राज्य के अन्दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र" को "रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र" से तथा शब्द "एवं" के पश्चात् तथा शब्द समूह "प्रतिदिन राज्य के बाहर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र" को "रु0 2,500/– (दो हजार पांच सौ) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–9 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "समतुल्य राशि" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,00,000/– (पांच लाख)" को "रु0 6,00,000/– (छः लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ix) नियमावली के नियम–9 में नया उप नियम–9 (iv) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है–

"प्रत्येक माननीय सदस्य हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।"

x) नियमावली के नियम–11 में अंकित शब्द समूह "अवधि पर्यन्त अधिकतम" के पश्चात् एवं "एकमुश्त वेतन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 20,000/– (बीस हजार) मात्र प्रतिमाह"** को शब्द **"रु0 35,000/– (पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xi) नियमावली के नियम–12 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह की दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xii) नियमावली के नियम–14 में **"उपस्कर सुविधा"** शीर्षक को **"उपस्कर एवं आवास सुराज्जन"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xiii) नियमावली के नियम–14 में अंकित शब्द समूह "एक टर्म के लिए" के पश्चात् एवं "तथा इसके रखरखाव" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"1,00,000/– (एक लाख) रुपये"** को **"रु0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा अंकित शब्द "प्रतिवर्ष" के पश्चात् एवं शब्द "देय" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार)"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xiv) नियमावली के नियम–15 में प्रत्येक अंकित शब्द समूह "सदस्य को प्रतिमाह" के पश्चात् एवं "पत्र–पत्रिकाओं" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 1,000/– (एक हजार) मात्र"** को **"रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xv) नियमावली के नियम–17 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं शब्द "पारिश्रमिक" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 15,000/– (पंद्रह हजार) मात्र"** को **"रु0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xvi) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (i) में **प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को प्रतिमाह देय पेंशन की राशि रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र को रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xvii) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (ii) में **पूर्व सदस्य के पेंशन में वार्षिक वृद्धि की राशि रु0 3,000/– (तीन हजार) मात्र को रु0 4,000/– (चार हजार) मात्र से एवं अधिकतम सीमा रु0 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र को रु0 1,00,000/– (एक लाख) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xviii) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (iii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है–

"पारिवारिक पेंशन रु0 60,000 (साठ हजार) मात्र देय होगा। पूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनो के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक रु0 60,000 (साठ हजार) मात्र पेंशन देय होगा।

xix) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (iv) में अंकित शब्द समूह "पूर्व सदस्य को" के पश्चात एवं "समतुल्य राशि" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रू0 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र"** को शब्द **"रू0 4,00,000/– (चार लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xx) नियमावली के नियम–21 में नया उप नियम–21 (iv) (a) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है:–

"प्रत्येक पूर्व सदस्य निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत अपनी सुविधानुसार रेल, हवाईयात्रा, डीजल, पेट्रोल अथवा इन चारों मदों में से किसी एक मद में सम्पूर्ण राशि का समायोजन कर सकेंगे। साथ ही हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।"

xxi) नियमावली के नियम–21 (v) में अंकित शब्द समूह "भूतपूर्व सदस्य को" के पश्चात् तथा "प्रतिमाह चिकित्सीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रू0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रू0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/9/2017

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0 संशोधन–128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0 संशोधन–128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0 संशोधन–128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0म0 संशोधन–128 / 2017_____ / रांची, दिनांक _____, 2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0म0 संशोधन–128 / 2017_____ / रांची, दिनांक _____, 2017 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं०स०उ०–06 / विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(उच्च संचिका) 936 / दिनांक 19.5.2015

झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम–2001 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2001), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2002 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2002), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2006 (झारखण्ड अधिनियम 09, 2006), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2008, झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2008 (झारखण्ड अधिनियम संख्या 10, 2008) सहपठित झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम–2011 (झारखण्ड अधिनियम संख्या 17, 2011) की नियमावली 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

   (i) यह नियमावली झारखण्ड विधान–मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 कहलायेगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।

   (iv) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरूद्ध न हो,

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान–मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 "

   (ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान मंडल / सभा का सदस्य,

   (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2. **सदस्यों का वेतन** – प्रत्येक सदस्य 30000/– (तीस हजार) रूपये प्रति माह की दर से वेतन, जो उसे उस दिन से प्राप्त होगा, जिस दिन यह सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए, अथवा विधान सभा / मण्डल में स्थान भरने के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य की दशा में उस तिथि से प्राप्त होगा, जिस तिथि को उसे मनोनीत किया जाए, अथवा यदि ऐसी घोषणा या जो मनोनयन रिक्ति होने की तिथि से पूर्व किया गया हो, तो रिक्ति होने की तिथि से पाने का हकदार होगा।

परन्तु वेतन की अदायगी तब तक नहीं की जायगी जब तक कि कोई सदस्य शपथ–ग्रहण न कर ले या भारतीय संविधान के अनुच्छेद–188 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर न कर दें :–

किन्तु यह कि आम चुनाव के बाद गठित नई विधान–मण्डल के किसी सदस्य की दशा में वेतन का भुगतान केवल उस तारीख से किया जायेगा, जिस तारीख को सभा की प्रथम बैठक नियत की गई है।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य को भुगतेय वेतन अनुपस्थिति करने के लिए ऐसी कटौतियों का देयी होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में उपबंधित किया जाय।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और ऐसी सरकार निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या किसी व्यक्ति से वेतन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता हो, तो–

(क) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि के समान या उससे अधिक हो, जिसका वह इस नियमावली के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(ख) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि से न्यून हो जिसका वह इस नियमावली के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन वेतन की उस राशि का हकदार होगा, जो वेतन की उस राशि से कम है जिसका वह इस नियमावली के अधीन अन्यथा हकदार है।

3. **सवारी भत्ता** – प्रत्येक सदस्य को 1,000/–(एक हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जायेगा, जिस तारीख को वह शपथ ग्रहण करे, या नियमावली–2 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करे।

4. **क्षेत्रीय भत्ता** – प्रत्येक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रतिमाह 20,000/– (बीस हजार) रुपये क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. **सत्कार भत्ता**– प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता के रूप में 20,000/–(बीस हजार) रुपये प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

6. **मोटरगाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा** – झारखण्ड विधान–मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटरगाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि अथवा अधिकतम 15,00,000/–(पंद्रह लाख) रुपये, जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अवधारित नियमावली में निहित शर्तों के अधीन ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो सीधे गाड़ी के कम्पनी/डीलर को भुगतेय होगा। भुगतेय ऋण राशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर भुगतेय होगा।

7. **पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय की सुविधा**– विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 10000/– (दस हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतेय होगा।

8. **सदस्यों का दैनिक भत्ता –**

सदस्य शपथ–ग्रहण करने की तिथि से रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 2,000/–(दो हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

9. **रेल, हवाई तथा पथ परिवहन सेवा –**

झारखण्ड विधान–मण्डल के प्रत्येक सदस्य को रु0 3,00,000/– (तीन लाख) के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/ पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – वर्ष से अभिप्रेत है 1 जून से आरम्भ होने वाली और 31 मई को समाप्त होने वाली कालावधि।

(i) प्रत्येक सदस्य और उसके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री, यदि कोई हो, को अहस्तांतरणीय पास उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे ये ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाय निगम के किसी मार्ग पर चलने वाली झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम की किसी बस से यात्रा करने के हकदार होंगे।

(ii) प्रत्येक सदस्य अपने साथ अपनी यात्रा के दौरान झारखण्ड राज्य के भीतर या बाहर किसी सहयात्री को अपने साथ ले जाने का हकदार होगा।

(iii) सदस्य को अनुमान्य रेलवे के लिए रु0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) मात्र के अन्तर्गत वैकल्पिक रूप से विहित राशि सीमा के समतुल्य राशि के अधीन प्रत्येक सदस्य हवाई जहाज का टिकट क्रय कर भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा।

10. **कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) का प्रावधान**– प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) की सुविधा देय होगी जिसका मूल्य अधिकतम 70,000/– रुपये (सत्तर हजार) मात्र की सीमा के अन्तर्गत होगा। सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) विधान–मण्डल को वापस कर देना होगा या खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जायेगा।

11. **निजी सहायक का प्रावधान**– प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि पर्यन्त अधिकतम रु0 20,000/– (बीस हजार) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर एक निजी सहायक की सुविधा अनुमान्य होगी। निजी सहायक को टंकन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान आवश्यक होगा।

12. **चिकित्सा भत्ता** – झारखण्ड विधान–मंडल के प्रत्येक सदस्य को रु0 5,000/–(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा।

13. **दूरभाष/मोबाईल का प्रावधान** – प्रत्येक सदस्य को वर्ष में अधिकतम 1,00,000/– (एक लाख) रुपये दूरभाष/मोबाईल मद में विपत्र के विरूद्ध भुगतेय होगा, जिसमें से रु0 60,000/– (साठ हजार) मात्र मोबाईल हेतु रु0 5,000/–(पाँच हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से वेतन में जोड़ा जायेगा तथा शेष रु0 40,000/–(चालीस हजार) लैंडलाईन, इंटरनेट तथा फैक्स मद की राशि को विपत्र के विरुद्ध विधानसभा द्वारा देय होगा।

14. **उपस्कर सुविधा** – प्रत्येक सदस्य को एक टर्म के लिए 1,00,000/– (एक लाख) रुपये तथा इसके रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष रु0 5,000/– (पाँच हजार) देय होगा।

15. **समाचार पत्र**–पत्रिका की सुविधा – प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह रु0 1,000/– (एक हजार) मात्र पत्र–पत्रिकाओं के लिए अनुमान्य होगा।

16. **आवास सुविधा**– राज्य सरकार के नियमानुसार तथा माननीय सदस्यों की वरीयता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर आवास आवंटित किया जायेगा।

17. **अनुसेवक की सुविधा**– प्रत्येक सदस्य को रु0 15,000/–(पन्द्रह हजार) मात्र पारिश्रमिक की दर पर एक अनुसेवक अनुमान्य होगा।

18. **आयकर**– प्रत्येक सदस्य को देय वेतन एवं भत्ता पर भुगतेय आयकर की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

19. **दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में कमरे की सुविधा**– प्रत्येक सदस्य को उनकी अधियाचना पर झारखण्ड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायती दर रु0 100/– प्रति कमरा प्रति चौबीस घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। कमरा रिक्त नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली द्वारा अन्य स्थानों में उसी दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

20. **गृह–ऋण की सुविधा**– प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 30,00,000/–(तीस लाख) रु0 का गृह ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अनुमान्य होगा।

21. झारखण्ड विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सुविधायें निम्नवत् देय होंगी–

(i) पेंशन – 30,000/– (तीस हजार) रु0 प्रतिमाह

(ii) पेंशन में वार्षिक वृद्धि – 3,000/– (तीन हजार) रु0 प्रतिमाह (अधिकतम 80,000/– रु0 तक)

(iii) **पारिवारिक पेंशन** – पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत देय होगा। भूतपूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वयस्क होने तक 75 प्रतिशत पेंशन देय होगा।

(IV) **रेल, हवाई तथा पथ परिवहन सेवा** – झारखण्ड विधान–मण्डल के पूर्व सदस्य को रु0 3,00,000/– (तीन लाख) के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/ पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा।

(V) **चिकित्सीय भत्ता** – माननीय भूतपूर्व सदस्य को रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र प्रतिमाह चिकित्सीय भत्ता देय होगा। उनके जीवित रहने/मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को दोनों ही स्थिति में चिकित्सा भत्ता देय होगा।

(VI) **पेंशन की राशि का हस्तांतरण** :– माननीय भूतपूर्व विधायक की पत्नी/पति को मिलने वाले पेंशन की राशि कोषागार से सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

(VII) **दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में कमरे की सुविधा**– प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को उनकी अधियाचना पर झारखण्ड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायती दर रु0 100/–(एक सौ) प्रति कमरा प्रति चौबीस घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। कमरा रिक्त नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली द्वारा अन्य स्थानों में उसी दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

22. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए , बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में वह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

23. **व्याख्या एवं संशोधन–** इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० 18/5/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं०म०स०–05/विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(प्रथा संचिका) 936 /रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय सभी सदस्यगण/ सभी पूर्व सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 18/5/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं०म०स०–05/विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(प्रथा संचिका) 936 /रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच. ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 18/5/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं०म०स०–05/विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(प्रथा संचिका) 936 /रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह० 18/5/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।